राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांकः– F 50 (2) NHM/QA/2018/ 571 दिनांकः– 3/7/18

बैठक कार्यवाही विवरण

मिशन निदेशक महोदय की अध्यक्षता में क्वालिटी अश्योरेंस एवं कायाकल्प कार्यक्रम के सन्दर्भ में वी.सी. (Video Conference) दिनांक 27.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक ग्राउण्ड फ्लोर डी.एम.एच.एस. हॉल, निदेशालय, स्वास्थ्य भवन में रखी गयी। वी.सी. में लिये निर्णय बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. सभी को निर्देशित किया गया कि कायाकल्प कार्यक्रम के प्रथम व द्वितीय असेसमेंट तथा क्वालिटी अश्योरेंस का प्रथम असेसमेंट समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दिनांक 07.07.2018 तक भरवा दिया जायें अन्यथा इस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ, अतिरिक्त/उप सीएमएचओ (प.क.), आरसीएचओ एवं चयनित स्वास्थ्य संस्थान प्रभारी।**
2. कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित समस्त स्वास्थ्य संस्थानों का जिला स्तर से पीयर असेसमेंट किया जायेगा। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ एवं अतिरिक्त/उप सीएमएचओ)।**
3. पीयर एवं एक्सटर्नल असेसमेंट जिला स्तर पर किस तरह से किये जाने हैं इसके दिशा–निर्देश राज्य स्तर से भिजवाये जायें **(उत्तरदायित्वः स्टेट क्वालिटी अश्योरेंस यूनिट)।**
4. कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत पीयर असेसमेंट में 70 एवं 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले संस्थानों के नाम District Level Award Committee में अनुमोदन के पश्चात ही State Level Award Committee को प्रस्तुत किया जाये। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ एवं आरसीएचओ)।**
5. कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत जोडे गये नये Thematic Area-G. Beyond Hospital Boundary पर विशेष रूप से कार्य किये जाने के लिए निदेर्शित किया गया। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ, आरसीएचओ एवं स्वास्थ्य संस्थान प्रभारी)।**
6. District Quality Assurance Committee की वर्ष में चार बैठक, District Quality Assurance Unit की 12 बैठक तथा District Level Award Committee (एक महिला सदस्य नामांकित किये जाने) की वर्ष में 2 बैठकों को अनिवार्य रूप से आयोजित करने तथा बैठक कार्यवाही विवरण राज्य स्तर पर शेयर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ, अतिरिक्त/उप सीएमएचओ (प.क.) एवं आरसीएचओ)।**
7. क्वालिटी अश्यारेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत District Quality Assurance Unit (DQAU-Dy.CMHO (FW) Incharge) द्वारा समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों का द्वितीय असेसमेंट किया जायेंगा। **(उत्तरदायित्वः अतिरिक्त/उप सीएमएचओ (प.क.)।**
8. क्वालिटी अश्योरेंस चैक लिस्ट को कायाकल्प कार्यक्रम की भांती पोर्टल पर भरे जाने तथा इस हेतु पोर्टल पर दी गयी गाईड लाईन का सहयोग लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ, अतिरिक्त/उप सीएमएचओ (प.क.), आरसीएचओ एवं चयनित स्वास्थ्य संस्थान प्रभारी)।**

9. क्वालिटी अश्यारेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से चयनित स्वास्थ्य संस्थानों को क्वालिटी टीम तथा 8 सब कमेटी अनिवार्य रूप से गठित किये जाने तथा बैठक कार्यवाही विवरण राज्य स्तर पर शेयर किये जाने हेतु आदेशित किया गया। **(उत्तरदायित्वः स्वास्थ्य संस्थान प्रभारी)।**

10. समस्त हैल्थ मैंनेजरों को क्वालिटी अश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सीएचसी एवं एक आदर्श पीएचसी (First Phase) चयनित करने, मेंटरिंग करने एवं उन्हें NQAS Certification के लिए तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(उत्तरदायित्वः हैल्थ मैंनेजर)।**

11. कायाकल्प एवं क्वालिटी अश्यारेंस दोनो ही कार्यक्रमों में भरी जाने वाली चैक लिस्ट स्वास्थ्य संस्थान की तथ्यात्मक स्थिति पर ही आधारित होनी चाहिये। पीयर एवं एक्सर्टनल असेसमेंन्ट के दौरान यदि स्कोर में 5 से 10 % से अधिक अन्तर पाया जाता है तो उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया जायेगा। **(उत्तरदायित्वः सीएमएचओ, अतिरिक्त/उप सीएमएचओ (प.क.), आरसीएचओ एवं चयनित स्वास्थ्य संस्थान प्रभारी।**

अन्त में डॉ. रामबाबू जायसवाल, राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्योरेंस ने मिशन निदेशक महोदय एवं अन्य सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की।

संलग्न :- वीडियो कान्फ्रेन्स में प्रस्तुत की गई पीपीटी।

शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य. एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः- F 50 (2) NHM/QA/2016/ 511 दिनांकः- 3/4/18

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक-जन स्वास्थ्य/आरसीएच।
4. समस्त जिला कलेक्टर - District Quality Assurance Committee अध्यक्ष।
5. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
6. डॉ. राम बाबू जायसवाल राज्य नोडल अधिकारी (क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प), एन.एच.एम।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम.।
8. समस्त संयुक्त निदेशक जोन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,।
10. समस्त अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण ।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल/ उप जिला अस्पताल / सेटेलाइट अस्पताल।
12. समस्त RCHO।
13. समस्त DPM।
14. समस्त Health Manager।
15. समस्त Block CMHO।
16. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी CHC एवं PHC ।
17. सलाहकार-आईटी सम्बन्धित को ईमेल हेतु।

राज्य नोडल अधिकारी
क्वालिटी अश्योरेंस एवं कायाकल्प